


5/8/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय
में वकील वादी एवं वादी के नाम
अलग - अलग समय में तीन
बार आवार्जेन लगाई गईं। परन्तु
कोई हाजिर नहीं। इससे यह स्पष्ट
होता है कि वकील वादी एवं वादी
अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं
हैं। लिहाजा वादी का वाद "अदम
पालना एवं अदम हाजिरी" में
खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दारखिल दफ्तर
हो एवं नम्बर सै कम हो।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) वाडमेर

